न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 209/2019

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. हड़मानराम पुत्र रूघनाथराम 2. बुधाराम पुत्र रूघनाथराम 3. बाबुराम पुत्र रूघनाथराम 4. खेमाराम पुत्र रूघनाथराम (जाति जाट, निवासी ग्राम गोदेलाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर)		1. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर 2. उपखण्ड अधिकारी बालेसर 3. सरपंच ग्रा0पं0 भालु अनोपगढ, तह0 बालेसर (जोधपुर) 4. भू–अभि. निरीक्षक बेलवा, बालेसर 5. पटवारी भालु अनोपगढ, बालेसर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बालेसर (जोधपुर) आदेश कमांकः 816 दिनांक 06.06.18

उपस्थिति –
1. श्री रूघाराम चौधरी, वकील अपीलांट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 19 .01.2026

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी बालेसर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.18 के द्वारा तहसीलदार बालेसर के पत्र कमांक 792 दिनांक 5.6.18 द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम भालू जोगासर, भालू अनोपगढ व पूनावत नगर के उल्लेखित कुल 14 खसरान की भूमि में से रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित रकबा भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट्स ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि ग्राम भालू काछब नगर, पटवार क्षेत्र भालू अनोपगढ के खसरा नम्बर 156 रकबा 69.16 बीघा अपीलांट की खातेदारी व कब्जाकाश्त भूमि है, जिसमें से 17 बिस्वा भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित किया गया है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उक्त भूमि पूर्व में अपीलांट के पिता स्व0 रूघानाथराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, जिनका देहांत 31.12.15 को हो जाने के उपरांत अपीलाधीन आदेश मृत खातेदार के नाम पारित कर दिया गया। उक्त आदेश हल्का पटवारी की एक पक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है। जिसमें अपीलांट को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया और न ही उनकी कोई सहमति ली गई तथा ना ही किसी पडौसी खातेदार द्वारा अपीलांट की कृषि भूमि में से रास्ते की मांग की गई है। इसके अलावा मौके पर रास्ता विद्यमान नही है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलांट्स के खसरान की हद तक अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार बालेसर के प्रस्ताव पर पारित किया गया है, जो हल्का पटवारी की मौका फर्द अनुसार गश्त गिरदावरी संवत् 2073 के दौरान मौके पर चालू रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन हेतु प्रस्तावित किया गया। तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मतः निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार बालेसर से प्राप्त प्रस्ताव पर बिना विधिक प्रकिया अपनाये की गई है। जिसमें संबंधित खातेदारों को नोटिस एवं सुनवााई का अवसर नही दिया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 816 दिनांक 06.06.18 को अपीलांट के ख0नं0 156 की रकबा भूमि तक निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट एवं ख0नं0 156 के खातेदारों/सहखातेदार को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 19-1-26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

19/1/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर